सरबती देवी व अन्य बनाम रूखड़ी देवी व अन्य
प्रकरण संख्या 2023/28

04.12.2024 पत्रावली पेश हुई। लक्ष्मण दास पुत्र श्री रूपचन्द जाति मेघवाल निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 06.07.2023 पर बहस प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार प्रार्थी ने प्रतिवादी/ अप्रार्थी सं0 01 रूखड़ी पुत्री लालचन्द जाति बावरी निवासी 1 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर से उसके हिस्से की नहरी कृषि भूमि वाके चक 1 एच बडा तहसील श्रीगंगानगर के खाता से0 91/62 के मु0 नं0 24 के किला नं0 1 ता 25 का 6.075 है0 रकबा नहरी में से उसका हिस्सा 608/6075 यानि 0.608 है0 नहरी रकबा को दिनांक 22.02.2023 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रार्थी ने खरीद कर लिया है तथा खरीद की तिथि से ही प्रार्थी मु0 नं0 24 के किला नं0 13 में 0.127 है0 किला नं0 18 में 0.253 है0 व किला नं0 23 में 0.228 है0 इस प्रकार कुल 0.608 है0 पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरा भी दर्ज हो चुका है। प्रार्थी अब वाके चक 1 एच बडा तहसील व जिला श्रीगगानगर के खाता सं0 91/62 के मु0 नं0 24 का सह हिस्सेदार काश्तकार हो चुका है। इसलिए प्रार्थी अब आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है। प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये तथा बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये श्रीमान् न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली में किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है तो प्रार्थी के हितों पर विपरित प्रभाव पडेगा और प्रार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा इसलिए न्याय हित में प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना उचित है। प्रार्थी कानूनन पक्षकार बनने के योग्य है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का हित निहित है इसलिए समस्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी को उक्त अनवानी प्रकरण में प्रतिवादी/अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाये। यदि प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाता है तो वादीगण/प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी तथा सही वस्तु स्थिति न्यायालय के सामने आयेगी ताकि सही न्याय निर्णय हो सके। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त प्रकरण में लक्ष्मण दास पुत्र श्री रूपचन्द जाति मेघवाल निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर को पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु आदेशित किया जावे।,

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का जवाब दिनांक 20.12.2023 को पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार– प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 रूखडी देवी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। चक 1 एच बडा पटवार हल्का मदेरा भू– अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91/62, मुरब्बा नं0 24 के कुल 6.075 हैक्टे0 रकबा में आपसी सहमति व घरेलू बंटवारा अनुसार प्रार्थीया व उसकी दोनों पुत्रियां वादी संख्या 02 व 03, मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 2, 9, 12 सालम, किला नं0 13 का 10 बिस्वा, किला नं0 19 का 15 बिस्वा, किला नं0 18, 23 सालम कुल 6 बीघा 5 बिस्वा रकबा पर पिछले करीब 50 सालों से कब्जा काश्त है। उक्त रकबा पर प्रार्थीया व उसकी दोनों पुत्रियों का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीया के पति व प्रार्थीया संख्या 02 व 03 के पिता अपने जीवन काल में उक्त 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त थे तथा उनके देहांत के बाद प्रार्थीया व उसकी दोनों [illegible] काश्त है व इसी प्रकार मुरब्बा नं0 24 के लिा नं0 3, 8, 14, 17, 24 [illegible] किला नं0 13 का 10 बिस्वा, किला नं0 7 का 15 बिस्वा कुल 6 बीघा 5 बिस्वा [illegible] रकबा पर वादी संख्या 04 कब्जा काश्त है। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा प्रतिकूल हो चुका है उक्त रकबा की पानी की पर्ची प्रार्थीया के नाम से जारीशुदा है तथा प्रार्थीया उक्त कब्जाशुदा कृषि भूमि का सिंचाई व राजस्व लगान अदा करती आ रही है। प्रार्थीया ने प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उक्त वर्णित कृषि भूमि का खातेदार मालिक घोषित करने का दावा प्रस्तुत किया है। जब उक्त कृषि भूमि का कब्जा रूखडी देवी के पास नहीं था तो उसके द्वारा कथित बैयनामा करवाया जाना भी नियमविरूद्ध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। इस नियमविरूद्ध बैयनामा के आधार पर नामांतरण किया गया है वह भी अवैध है। प्रार्थी लक्ष्मण दास का किला विशेष का कब्जा प्राप्त करने का कथन भी गलत है। उक्त खाता मुश्तरका है जिसके तहत किला विशेष का कब्जा प्राप्त नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:56:32 IST
Reason: SelfAttested

किया जा सकता। प्रार्थी लक्ष्मण दास के पास ना ता कब्जा है और ना ही वह सहकाश्तकार है, ना ही हितबद्ध है और ना ही प्रभावित है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071—2074 चक 1 एच बडा पटवार हल्का मदेरां भू0 अ0 नि0 शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 92/62 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी लक्ष्मणदास पुत्र श्री रूपचन्द अभिलिखित खातेदार है एवं अभिलिखित खातेदार होने के कारण हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर लक्ष्मण दास पुत्र श्री रूपचन्द जाति मेघवाल निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर को प्रतिवादी संख्या 14 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक एवं तलबी हेतु दिनांक 03.01.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:56:32 IST
Reason: SelfAttested